Regd. No. PB/0176/2003-2005

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, FRIDAY, JULY 29, 2005 (SRAVANA 7, 1927 SAKA)

हरियाणा सरकार

अक्षय ऊर्जा विभाग

आदेश

दिनांक 29 जुलाई, 2005

संख्या 22/52/2005-5 विद्युत.—ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52), की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा, हरियाणा राज्य में ऊर्जा के फलोत्पादक उपयोग तथा इसके संरक्षण के लिये निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं, अर्थात् :—

1. सौर जल तापीय प्रणाली का आज्ञापक उपयोग

1. सौर जल तापीय प्रणाली का उपयोग भवनों के निम्नलिखित प्रवर्गों में आज्ञापक होगा, अर्थात् :—

(क) उद्योगों में जहां प्रसंस्करण के लिये गर्म पानी अपेक्षित है।

(ख) हस्पताल और नर्सिंग होम जिसमें सरकारी हस्पताल भी शामिल हैं।

(ग) होटल, मोटल और समारोह हाल।

(घ) जेल बैरकें और कैन्टीनें।

(ङ) समूह आवास समितियों/हाउसिंग बोर्ड द्वारा स्थापित हाउसिंग काम्पलैक्स।

(च) नगरपालिका समितियों/निगमों तथा हुडा के सैक्टरों की सीमा के भीतर आने वाले 500 वर्ग गज तथा इससे अधिक आकार के भूखंड पर निर्मित सभी आवासीय भवन।

(छ) सभी सरकारी भवनों, आवासीय विद्यालयों, शैक्षणिक महाविद्यालयों, होस्टलों, तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा संस्थाओं, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पर्यटन काम्पलैक्सों तथा विश्वविद्यालय इत्यादि।

2. हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (हरेडा) विशिष्टियों के अनुसार श्रेष्ठ रूप से डिज़ाईन किये गये उत्तम गुणवता प्रणाली की स्थापना सुनिश्चित करने के लिये राज्य में सौर जल तापीय प्रणालियों की आपूर्ति तथा स्थापना के लिये अनुमोदित स्त्रोत के रूप में कार्य करेगा।

3. सभी सम्बन्धित विभाग जैसे नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, शहरी विकास विभाग, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग, आवास बोर्ड, जन-स्वास्थ्य विभाग और कारागार विभाग आदेश जारी होने की तिथि से दो मास के भीतर सौर जल तापीय प्रणालियों का उपयोग करने के लिये अपने नियम/उप-विधियां को संशोधित करेंगे।